अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No - 08 / 2011-12

शेख चुल्हाय एवं अन्य

बनाम

मु0 हफीज वगै0

25/02/2023

-: आदेश :-

प्रस्तुत अपील विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित म्यूटेशन अपील नं0-18/09-10 मु0 हफीज वगैरह बनाम् शे0 चुल्हाय वगैरह में दिनांक-22.06.2011 को पारित आदेशानुसार म्यूटेश अपील स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया जो दिनांक-25.10.2012 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहंस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष का बहस सुना गया एवं दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि उभय पक्ष मुसलमान है एवं हनीफ स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ को मानते है। अपीलकर्त्ता का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय में अपील संधरणीय नही था तथा यह अपील समय-सीमा से बाधित है एवं विपक्षी ने वास्तविक तथ्य को छुपाया है। हकीकत में उभय पक्षो के पूर्वज शेख सहमद है तथा उभय पक्षों की जमीन चार मौजा में है। मौजा सहजादपुर नं0-486 जमा0 नं0-5, रकवा-15-5-16 धूर जमीन शे0 कटकू मंडल वल्द शे0 सहमद मंडल वो शकरू मंडल वल्द शेख मुन्दी मंडल के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता का यह भी कथन है कि उपरोक्त जमीन पूर्व मे बटवारा के पश्चात् सभी रैयतों का नाम खतियान के कैफियत कॉलम मे अलग-अलग दखल कब्जा दर्ज है। मौजा-सहजादपुर के जमाबंदी रैयत शे0 शकरू मंडल नावल्द फौत के उपरांत शेख कटकू एवं शे0 मुंशी के वारीसान ने आपस में शे0 सकरू की सम्पत्ति का निबंधित बटवारानाम निबंधित कराया गया, जिसमें शे0 मांडो, प्रथम पक्ष तथा शे0 ताजअली द्वितीय पक्ष थे। इसी बटवारानामा के अनुसार विषयगत भूमि शे0 ताजअली के हिस्से में आई, जिसके आधार पर नामांतरण वाद संख्या 7/5 वर्ष-1965-66 में अंचल अधिकारी, महगामा द्वारा दिनांक- 22.11.1965 के आदेशानुसार शे0 ताजअल्ली के पक्ष में नामांतरण वाद स्वीकृत करते हुए शुद्धीपत्र निर्गत किया गया एवं आदेश पारित किया गया। जो अबतक उक्त जमीन पर दखलकार चले आ रहे है एवं मालगुजारी रसीद भी प्राप्त कर रहे है। अपीलकर्त्ता का यह भी कहना है कि निबंधित बटवारानामा संख्या-1891 की जानकारी विपक्षी को होने के पश्चात् भी सक्षम न्यायालय में इसकी वैधता को कही चुनौति नही दी गई। साथ ही निबंधित दस्तावेज को सक्ष्म न्यायालय द्वारा बिना निरस्त किए नामान्तरण आदेश को निरस्त करना पूर्णत: अवैधानिक है। उनका यह भी कथन है कि उत्तरवारी को नामांतरण वाद संख्या 7/5 वर्ष-1965-66 की जानकारी पूर्व से थी फिर भी निम्न न्यायालय में विलम्ब से अपील दाखित किये है जो कालवाधित है।

अपीलकर्त्तागण पुनः अपने बहस में कहते है कि पक्षकारों के स्वत्व एवं दखल के संबंध में फैसला करने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है अपने दावे के समर्थन में अपीलकर्त्तागण ने जे0एल0जे0आर0 2010 (3) पेज 2 दाखिल किये है जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा डिक्लरेशन राईट के संदर्भ में निर्णय पारित है। अपीलकर्त्तागण का यह भी कहना है कि उभय पक्ष मुसलमान है एवं हनिफ कानून को मानते है। जिसका 15 में ब्यौरा दिया हुआ है। जिसमे उभय पक्ष के लोग आते है जिसके अनुसार शेख ताजअली का 1/3 हिस्सा शे0 गुलाम अली का 1/3 हिस्सा शे0 मांडो का 1/3 हिस्सा है इस तरह बटवारानामा वैधनिक है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलकर्त्तागण प्रार्थना करते है कि विद्धान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा द्वारा मयुटेशन अपील नं0-18/09-10 में पारित आदेश दिनांक- 22.06.11 को निरस्त कर अंचल अधिकारी महगामा द्वारा नामांतरण वाद सं0-7/5 वर्ष-1965-66 में पारित आदेश दिनांक-22.11.1965 को बरकरार रखने की प्रार्थना करते है।

उत्तरवादीगण का यह कहना है कि मौजा-सहजादपुर नं0-486 जमाबंदी नं0-5, के जमाबंदी रैयत शेख कटकू मंडल वल्द शेख सहमद मंडल वो शकरू मंडल वल्द शेख मुन्दी मंडल के नाम से खतियान मे दर्ज है। शेख सकरू मंडल अपने भाई शे0 कटकु को छोड़कर नावल्द फौत कर गये तत्पश्चात् शेख कटकु, एक मात्र उतराधिकारी की हैसियत से शे0 सकरू मंडल की सम्पत्ति पर दखलकार हुए। शेख कटकु मंडल पिता के मृत्यु के उपरांत शेख मांडो वारिसान की हैसियत से दखलकार हुए। शेख मांडो के मृत्यु के समय उत्तरवादी नाबालिग थे। कटकु के घनिष्ट मित्र शेख ताजअली ही उत्तरवादीगण के खेती-बाड़ी का काम एवं जोत-आवाद करते थे। उत्तरवादी के अव्यस्क होने का शेख ताजअली ने नाजायज लाभ उठाते हुए अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से एक जाली दस्तावेज तैयार किया तथा इसी जाली दस्तावेज के आधार पर गलत नामांतरण आदेश पारित हुआ। चूँकि सारा काम गलत तरीका से किया गया था इस कारण अंचल स्तर से दाखिल-खारीज की जानकारी को छुपा कर रखा गया और यही वजह है कि उत्तरवादीगण को इसकी जानकारी विलम्ब से हुई। उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति दिनांक-30.06.2009 को प्राप्त हुई। उत्तरवादी का कहना है कि निम्न न्यायालय में दायर वाद कालसीमा के भीतर है तथा परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के तहत आवेदन को माननीय न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है। उत्तरवादीगण का यह भी कहना है कि मौजा-सहजादपुर नं0-586, जमाबंदी नं0-5 के खतियानी रैयत से अपीलकर्त्ता का कोई सरोकार (संबंध) नही है एवं अपलीकर्त्ता पूर्णतः बाहरी व्यक्ति है। अंचल द्वारा खतियानी रैयत के वास्तविक वारीसानों की जाँच किये बिना मात्र बटवारानामा के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा किया गया नामांतरण आदेश पारित करना पूर्णतः अवैधानिक है। निबंधित बटवारानामा पर शेख माडू

का टीप निशान भी जाली है। बंदोवस्त न्यायालय सं0प0प्रमंडल, दुमका के हस्तांतरण वाद संख्या-4/96 दिनांक-28.11.1996 के अनुसार अपीलकर्त्तागण को विषयगत जमीन से उच्छेद किया गया है। इसे किसी सक्षम न्यायालय में अपीलकर्त्ता द्वारा चुनौती भी नही दी गयी है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि केवल शेख ताजल्ली ने ही जालसाजी के तहत् विषयगत भूमि के दाग नं0-49, 162, 190, 244, 298 एवं 313 रकवा 02-05-16 धूर के नामांतरण हेतु आवेदन दिया था किन्तु अंचल अधिकारी ने शेख दुखन के नाम से भी नामान्तरण आदेश पारित किया, जबकि शेख दुखन ने ऐसा कोई आवेदन नही दिया था। उत्तरवादी का यह भी कथन है कि सर्वे सेटलमेंट के हाल सर्वे में अपीलकर्त्तागण के समस्त दावे को खारिज कर उत्तरवारीगण संख्या-1 से 4 तक के नाम से नया पर्चा बना दिया है। यद्यपि हाल सर्वे गैर अंतिम खतियान है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज एवं बहस के उपरांत दाखिल कागजात के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अपीलकर्त्ता के पिता शेख ताजल्ली ने बटवारानामा संख्या-1891 दिनांक-27.07.1961 के आलोक में निम्न न्यायालय के समक्ष विषयगत भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया था किन्तु शेख ताजल्ली के साथ-साथ शे0 दुखन को उक्त बटवारानामा में किसी प्रकार की भूमि नही मिली और न ही शेख दुखन ने विषयगत भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया। अंचल अधिकारी द्वारा किया गया नामांतरण (दाखिल-खारिज) तर्कसंगत प्रतीत नही होता है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बंदोवस्त न्यायालय दुमका के हस्तांतरण वाद संख्या- 4/96 दिनांक-28.11.96 को पारित आदेश से अपीलकर्त्तागण को विषयगत भूमि से उच्छेद किया गया था। अपीलकर्त्ता द्वारा इसे सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नही दिया गया।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा द्वारा मयूटेशन अपील नं0-18/09-10 में पारित आदेश दिनांक-22.06.11 नियमसंगत है। अतएव भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा द्वारा मयुटेशन अपील नं0-18/09-10 में पारित आदेश बरकरार रखते हुए वर्त्तमान अपीलवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

25.9.24

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

25.9.2024

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.10.04 13:02:13 +05:30
Location: 192.168.1.6